भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 819

दिनांक 29 नवंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में वृद्धि

†819. श्री चरनजीत सिंह चन्नी:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए स्थापित जनसंख्या मानदंडों पर विचार करते हुए, ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे विशिष्ट उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास विशेष रूप से कम सुविधा वाले क्षेत्रों में जिला अस्पतालों और ग्रामीण स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को बढ़ाने में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा मिशन की प्रगति संबंधी आंकड़े हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): देश की स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली में भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली के तीन स्तंभों के रूप में उप स्वास्थ्य केन्द्र (ग्रामीण), प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (शहरी और ग्रामीण) तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (शहरी और ग्रामीण) के साथ त्रि-स्तरीय प्रणाली शामिल है।

स्थापित मानदंडों के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में 5,000 (मैदानी इलाकों में) और 3000 (पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में) की आबादी के लिए एक उप स्वास्थ्य केंद्र, 30,000 (मैदानी इलाकों में) और 20,000 (पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में) की आबादी के लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 1,20,000 (मैदानी इलाकों में) और 80,000 (पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में) की आबादी के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का सुझाव दिया गया है। इसके अतिरिक्त, शहरी क्षेत्र के लिए 15,000 से 20,000 की शहरी जनसंख्या के लिए एक शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, 30,000 से 50,000 की शहरी जनसंख्या के लिए एक शहरी-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (यू-

पीएचसी), गैर-मैट्रो शहरों (5 लाख से अधिक) में प्रत्येक 2.5 लाख जनसंख्या के लिए एक शहरी-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (यू-सीएचसी) और महानगरों में प्रत्येक 5 लाख जनसंख्या के लिए एक शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (यू-सीएचसी) की सिफारिश की गई है। इसके अलावा, जिला अस्पताल (डीएच), उप-जिला अस्पताल (एसडीएच) और प्रथम रेफरल यूनिट ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लिए मध्यम स्तर की परिचर्या सेवाएं प्रदान करते हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार, स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में पर्याप्त मानव संसाधनों की उपलब्धता, ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से अल्पसेवित और उपेक्षित समूहों के लिए गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य परिचर्या की उपलब्धता और पहुंच में सुधार करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर जन स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार, मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार, कार्यवाही के रिकॉर्ड (आरओपी) के रूप में प्रस्तावों के लिए अनुमोदन प्रदान करती है।

(ख) और (ग): प्रधानमंत्री-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 64,180 करोड़ रुपये की राशि के साथ शुरू किया गया था। पीएम-एबीएचआईएम के तहत किए गए उपाय, वर्तमान और भावी महामारियों/आपदाओं के संबंध में प्रभावी ढंग से जवाब देने के लिए स्वास्थ्य प्रणालियों को तैयार करने के लिए प्राथमिक, मध्यम और विशिष्ट सभी स्तरों पर परिचर्या की निरंतरता में स्वास्थ्य प्रणालियों और संस्थानों की क्षमताओं को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

चार वर्षों (अर्थात् वित्त वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 और 2024-25) के दौरान पीएम-एबीएचआईएम के सीएसएस के तहत सभी घटकों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिए गए प्रशासनिक अनुमोदनों का ब्यौरा **अनुलग्नक** में है।

अनुलग्नक

चार वर्षों के लिए पीएम-एबीआईएम के सीएसएस के तहत सभी घटकों में दिया गया राज्यवार अनुमोदन

(इकाइयों की संख्या)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों	वित्त वर्ष 2021-25 के लिए कुल स्वीकृत इकाइयां				
		भवन रहित - एएएम (उप-केंद्र -आयुष्मान आरोग्य मंदिर)	शहरी- एएएम (यू-आयुष्मान आरोग्य मंदिर)	ब्लॉक जन स्वास्थ्य इकाइयाँ (बीपीएचयू)	एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं (आईपीएचएल)	क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक (सीसीबी)
1	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	-	4	-	3	1
2	आंध्र प्रदेश	1786	45	-	23	16
3	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	14	0
4	असम	768	0	142	24	17
5	बिहार	2546	-	59	12	12
6	चंडीगढ़	-	19	-	0	1
7	छत्तीसगढ़	-	-	54	21	15
8	दादरा और नागर हवेली और दमन द्वीव	-	3	-	0	0
9	दिल्ली	-	0	-	0	0
10	गोवा	-	-	-	0	0
11	गुजरात	-	82	-	24	22
12	हरियाणा	-	-	-	14	15
13	हिमाचल प्रदेश	-	26	50	7	4
14	जम्मू और कश्मीर	-	69	200	14	4
15	झारखंड	893	-	100	17	15
16	कर्नाटक	-	817	-	21	21
17	केरल	-	-	-	10	10

18	लद्दाख	-	-	-	2	-
19	लक्षद्वीप	-	-	-	1	-
20	मध्य प्रदेश	-	-	119	39	35
21	महाराष्ट्र	-	-	-	25	24
22	मणिपुर	64	0	-	11	0
23	मेघालय	151	-	-	7	0
24	मिजोरम	-	0	-	7	1
25	नागालैंड	-	-	-	7	0
26	ओडिशा	604	140	119	21	21
27	पुदुचेरी	-	21	-	3	0
28	पंजाब	-	-	-	14	17
29	राजस्थान	1112	371	111	24	24
30	सिक्किम	-	-	-	3	1
31	तमिलनाडु	-	500	-	28	28
32	तेलंगाना	-	500	-	24	21
33	त्रिपुरा	-	-	-	4	0
34	उत्तर प्रदेश	1670	250	311	53	49
35	उत्तराखंड	-	-	59	10	4
36	पश्चिम बंगाल	-	204	-	17	17
	कुल	**9594**	**3051**	**1324**	**504**	**395**

*****